न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/27/2024

अपीलांट अशोक कुमार बृजवाल पुत्र केवलचंद बृजवाल
निवासी वार्ड नं. 8 ढाणी बाजार बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिव

आदेश

दिनांक : 20.03.2024

अपीलार्थी अशोक कुमार बृजवाल पुत्र केवलचंद बृजवाल निवासी वार्ड नं. 8 ढाणी बाजार बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी शिव के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 05.03.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय पोस्टल ऑर्डरं 376594 की प्रति दिनांक 26.12.2023 संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिव को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को जवाब/टिप्पणी में धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर जिसकी सूचना अपीलांट को कार्यालय के आदेश क्रमांक 51 दिनांक 02.02.2024 को प्रेषित की गई। लिहाला अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

हमने प्रस्तुत अपील, राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना के प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.12.2023 को रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 2.2.2024 का धारा 6 (3) के तहत अन्तरित किया गया है जबकि धारा 6 (3) के तहत प्रार्थना–पत्र 5 दिवस के भीतर–भीतर अन्तरित किया जाना बाध्यकारी है। ऐसी दशा में दो माह बाद प्रार्थना–पत्र का अन्तरण विधिसम्मत नहीं है तथा धारा 7 के यथाविहित प्रावधानो के अधीन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण आवश्यक है। उपर्युक्त परिस्थितियों पर विवेचन के परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि रेकर्ड की यथा उपल[illegible]र्थी द्वारा वांछित सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाई जावे अन्यथा उ[illegible] प्रार्थना–पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर [illegible]य की प्रति अपीलार्थी [illegible]नस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:29:45 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 20.03.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(निशान्त जैन)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर